<u>न्यायालय–अपर जिला न्यायाधीश संख्या–01, बांदीकुई, जिला–दौसा।</u>

पीठासीन न्यायाधीशः हनुमान सहाय जाट, आर.जे.एस.(RJ00640)

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विवाह विच्छेद याचिका संख्या–46/2024

Case No.Family Main Case/46/2024

CNR RJDS060002112024

संजना बनाम जयप्रकाश

निर्णय दिनांक–07.03.2026

1

संजना उम्र 32 वर्ष पत्नी जयप्रकाश पुत्री छोटेलाल निवासी सिकन्दरयान का बास जागीर बांदीकुई हाल निवासी ऊनबडागांव ढाणी सकरेला तहसील बांदीकुई, जिला दौसा ।

–प्रार्थीया/याची

बनाम

जयप्रकाश पुत्र देवीसहाय उम्र 33 वर्ष निवासी सिकन्दरयान का बास जागीर बांदीकुई, तहसील बांदीकुई, जिला दौसा ।

–अप्रार्थी/अयाची

<u>उपस्थितः</u>–

1.प्रार्थीया संजना की ओर से – श्री भगवानसहाय सैनी, न्यायमित्र

2.अप्रार्थी जयप्रकाश की ओर से – कोई उपस्थित नहीं, एकपक्षीय कार्यवाही

याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक	01.04.2024
जवाब याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक	एकपक्षीय कार्यवाही
तनकीयात कायम करने की दिनांक	–
प्रार्थीया की साक्ष्य प्रारम्भ करने की दिनांक	06.03.2026
अप्रार्थी की साक्ष्य प्रारम्भ होने की दिनांक	–
बहस अंतिम की दिनांक	07.03.2026
निर्णय की दिनांक	07.03.2026

<u>साक्षीगण की सूचीः</u>–

(अ) <u>प्रार्थीया की ओर से साक्षीः</u>–

क्र.सं.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
A.W.1	संजना	प्रार्थीया एवं मूल गवाह

<u>प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजातः</u>–

क्र.सं	प्रदर्श नंबर	विवरण
1.	प्रदर्श–1	आधार कार्ड प्रार्थीया
2.	प्रदर्श–2	मैरिज सर्टिफिकेट

(ब) अप्रार्थी की ओर से साक्षीः–

क्र.सं.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजातः–

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
–	–	–

याचिका अंतर्गत धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955

बाबत विवाह विच्छेद

//निर्णय//

दिनांकः07.03.2026

01– प्रार्थीया संजना की ओर से हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत अप्रार्थी जयप्रकाश के विरूद्ध एक याचिका संक्षेप में इस आशय की प्रस्तुत की गयी है कि प्रार्थीया का विवाह अप्रार्थी के साथ दिनांक 06.03.2018 को हिन्दू विधि के अनुसार ग्राम उनबडागांव तहसील बांदीकुई, जिला दौसा में सम्पन्न हुआ था। प्रार्थीया के माता–पिता ने प्रार्थीया की सगाई में नकद 1,51,000/– रूपये, 15,000/– रूपये के कपडे व 24,550/– रूपये का लगन का सामान दिया तथा विवाह में उपहार स्वरूप प्रार्थीया को जेवरात में सोने की कान की झुमकी, दो सोने की अंगूठी, सोने की नाक की लोंग, चांदी की अंगूठी, चांदी की चटकी, चांदी की पायजेब, मंगलसूत्र सोने का, डबल बैड, गद्दे, बैडशीट, चौकी, सोफा सैट, अलमारी, कूलर, ड्रेसिंग टेबल, प्रेस, फ्रिज आदि तथा मोटरसाइकिल और काफी सारा सामान दिया व विवाह में नकद 8330/– रूपये, 77,120/– रूपये का सामान व कन्यादान कुल 4,31,000/– रूपये दिए थे जो सभी सामान व

जेवरात मुलजिमान के कब्जे में है। विवाह के पश्चात प्रार्थीया के ससुराल वाले प्रार्थीया को पांच लाख रूपये व एक फोर व्हीलर कार की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करने लगे। दिनांक 15.07.2018 को अप्रार्थी ने प्रार्थीया को घर से बाहर निकाल दिया उसके बाद वह पीहर गई और उसके घरवालों ने अप्रार्थी के घर वालों को समझाया तो कुछ दिन तो प्रार्थीया को ठीक से रखा उसके बाद दिनांक 03.09.2018 को पुनः घर से बाहर निकाल दिया और दहेज की मांग करने लगे। उसके पश्चात प्रार्थीया के पिता ने उन्हें 2,50,000/– रूपये दिए उसके पश्चात भी अप्रार्थी व उसके परिवार वाले नहीं माने और प्रार्थीया को प्रताडित करते रहे। प्रार्थीया के जेठ ने प्रार्थीया के साथ गलत काम करने की कोशिश की और वह चिल्लाई और अपने पति को यह बात बताई तो पति ने इस बात को दबाने को कहा। दिनांक 07.02.2023 को अप्रार्थी ने प्रार्थीया को 11 लाख रूपये व फोर व्हीलर की मांग पूरी नहीं करने पर घर से निकाल दिया और प्रार्थीया के परिवारजन से कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वे प्रार्थीया को नहीं रखेंगे । जिस बाबत प्रार्थीया ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 269/2023 महिला थाना दौसा में दर्ज करवाई जिसमें बाद जांच अप्रार्थी के विरूद्ध चालान प्रस्तुत कर दिया है।

02– प्रार्थीया का यह भी कथन रहा है कि प्रार्थीया, अप्रार्थी की वैध विवाहिता पत्नी है जिसके भरण पोषण हेतु अप्रार्थी उत्तरदायी है । अप्रार्थी मारूति कम्पनी में बावल हरियाणा में कार्य करता है जिससे अप्रार्थी को 40,000/– रूपये प्रतिमाह वेतन मिलता है इसके अलावा अप्रार्थी मकान व दुकान का 30,000/– रूपये मासिक किराया प्राप्त होता है इस प्रकार अप्रार्थी करीब 70,000/– रूपये मासिक आय प्राप्त करता है। अप्रार्थी ने बिना किसी युक्तियुक्त कारण के प्रार्थीया का परित्याग कर रखा है । यदि प्रार्थीया, अप्रार्थी के साथ बतौर पत्नी निवास करती है तो वह प्रार्थीया के जीवन को संकट में डाल सकता है। ऐसी स्थिति में

प्रार्थीया व अप्रार्थी के मध्य दिनांक 06.03.2018 को अनुष्ठापित हुए विवाह को विघटित घोषित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अन्त में याचिका स्वीकार कर प्रार्थीया व अप्रार्थी के मध्य दिनांक 06.03.2018 को अनुष्ठापित वैवाहिक संबंध को जरिये डिक्री विवाह विच्छेद विघटित घोषित करने तथा प्रार्थीया को अप्रार्थी से विवाह विघटित कर एकमुश्त भरण पोषण मानसिक व शारीरिक संताप करने के 20,00,000/– रूपये दिलवाये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

03– उपरोक्त याचिका के प्रस्तुत होने पर कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त की, याचिका को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। बावजूद तामील नोटिस अप्रार्थी उपस्थित नहीं आया। जिससे उसके विरूद्ध दिनांक 26.02.2026 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

04– एक पक्षीय साक्ष्य में प्रार्थीया की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह एडब्ल्यू–1 संजना को पेश कर परीक्षित करवाया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 को प्रदर्शित करवाया गया।

05– बहस अंतिम एकपक्षीय सुनी गयी। अपनी जुबानी बहस में विद्वान न्यायमित्र प्रार्थीया ने याचिका में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीया व अप्रार्थी के विवाह विच्छेद की डिक्री पारित करने का निवेदन किया।

06– विद्वान न्यायमित्र के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष अवधारणीय प्रश्न यह है किः–

01. **आया प्रार्थीया का विवाह अप्रार्थी जयप्रकाश के साथ दिनांक 06.03.2018 को हिन्दू रीति रिवाज से सम्पन्न होने के पश्चात अप्रार्थी ने प्रार्थीया के साथ क्रूरतापूर्ण बर्ताव किया?**

02. **आया अप्रार्थी ने प्रार्थीया को बिना युक्तियुक्त कारण के अभित्यजन कर रखा है?**

3. **अनुतोष?**

अवधारणीय प्रश्न संख्याः–1–

07– इस अवधारणीय प्रश्न के संबंध में प्रार्थीया ने याचिका में उल्लेख किया है कि विवाह के एक माह पश्चात जयप्रकाश ने प्रार्थीया को बोला कि तेरे बाप ने विवाह में कुछ नहीं दिया। कहने लगा कि तेरे बाप को हमें फोर व्हीलर कार व पांच लाख रूपये नकद ओर देने चाहिए थे। प्रार्थीया के साथ दिनांक 15.07.2018 को मारपीट करते हुए पहने हुए कपडों में घर से भगा दिया। 10–15 दिन बाद प्रार्थीया के माता पिता प्रार्थीया के ससुराल में आये अप्रार्थी व उसके परिवारजन से हाथा जोडी की। इसके बाद कुछ दिनों तक तो प्रार्थीया को ठीक प्रकार से रखा लेकिन दिनांक 03.09.2018 को पुनः दहेज की मांग करके घर से बाहर निकाल दिया। अप्रार्थी व उसके परिवारजन को दो लाख पचास हजार रूपये प्रार्थीया के परिवारजन देकर गये फिर भी उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। दहेज के लिए हैरान परेशान किया गया तथा प्रार्थीया को अप्रार्थी व उसके परिवारजन कहते कि तू बांझ है तेरे को बच्चे नहीं हो रहे हैं। प्रार्थीया का जेठ अनैतिक कार्य करने का दबाव बनाता था। अप्रार्थी व उसके परिवारजन ने प्रार्थीया को धमकाया कि यदि किसी को भी बताया तो जान से मार देंगे। प्रार्थीया से कहा कि तू बांझ है अभी बच्चे नहीं हुए हैं, हम तुझे छोड देंगे, वैसे भी तू दहेज कम लायी है, तेरे पीहर वाले गरीब हैं। दिनांक 07.02.2023 को अप्रार्थी व उसके परिवारजन ने प्रार्थीया को मारपीट कर पहने हुए कपडों में घर से बाहर निकाल दिया। प्रार्थीया द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–269/2023 महिला थाना दौसा में दर्ज करवायी जिसमें बाद जांच चालान प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त याचिका के तथ्यों के संबंध में प्रार्थीया की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह ए.डब्ल्यू–1 संजना स्वयं प्रार्थीया

ने बयानों में प्रस्तुत शपथ पत्र में याचिका के तथ्यों को दोहराते हुए दहेज की मांग करना, मारपीट करना, बांझ होने का ताना देना और दहेज की मांग कर मारपीट कर घर से बाहर निकाल देने के संबंध में कथन किया है। साथ ही धारा 498ए भा.द.सं. का मुकदमा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–269/2023 महिला पुलिस थाना दौसा में दर्ज कराना बताया है। जिसमें चालान पेश होना बताया है। अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से प्रार्थीया के उपरोक्त कथनों का खंडन नहीं हुआ है। दहेज की मांग करना और उसके लिए मारपीट करना क्रूरता की श्रेणी में आता है। साथ ही बच्चा नहीं होने पर बांझ होने का ताना देना भी क्रूरता की श्रेणी में आता है। अतः प्रस्तुत साक्ष्य से अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीया के साथ क्रूरता कारित किया जाना साबित है। लिहाजा यह अवधारणीय प्रश्न प्रार्थीया के पक्ष में तय किया जाता है।

अवधारणीय प्रश्न संख्याः–2–

08– प्रार्थीया की ओर से याचिका में अभित्यजन का बिन्दु भी उठाया गया है। परन्तु स्वयं को दिनांक 07.02.2023 को घर से निकाल देना बताया है। याचिका दिनांक 01.04.2024 को प्रस्तुत की गयी है अर्थात याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक से ठीक दो वर्ष पूर्व से अभित्यजन करना ना तो याचिका में उल्लेख किया गया है और ना ही इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है। अतः याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक से ठीक दो वर्ष पूर्व से त्याग करना साबित नहीं हुआ है। अतः यह अवधारणीय प्रश्न प्रार्थीया के विरूद्ध तय किया जाता है।

अनुतोषः–

09– चूंकि अवधारणीय प्रश्न संख्या–1 का निर्णय प्रार्थीया के पक्ष में रहा है। जिससे प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है। साथ ही इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थीया की ओर से याचिका के पैरा संख्या–9 में स्थायी निर्वाह भत्ता की मांग भी की गयी है। अप्रार्थी की मासिक आय सत्तर

हजार रूपये बतायी गयी है। अप्रार्थी के पास आय के पर्याप्त साधन होना बताया है जबकि स्वयं के पास आय के पर्याप्त साधन नहीं होना बताया है। अतः प्रार्थीया अप्रार्थी से स्थायी निर्वाह भत्ता के रूप में आठ हजार रूपये मासिक प्राप्त करने की हकदार है। फलस्वरूप विधि एवं न्याय के परिप्रेक्ष्य में निम्न आदेश पारित किया जाता हैः–

– आदेश –

10– अतः प्रार्थीया **संजना** उम्र 32 वर्ष पत्नी जयप्रकाश पुत्री छोटेलाल निवासी सिकन्दरयान का बास जागीर बांदीकुई हाल निवासी ऊनबडागांव ढाणी सकरेला तहसील बांदीकुई, जिला दौसा की ओर से अप्रार्थी **जयप्रकाश** पुत्र देवीसहाय उम्र 33 वर्ष निवासी सिकन्दरयान का बास जागीर बांदीकुई, तहसील बांदीकुई, जिला दौसा के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 बाबत विवाह विच्छेद एकपक्षीय स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया व अप्रार्थी के मध्य दिनांक 06.03.2018 को सम्पन्न हुए विवाह को विघटित किया जाता है। आज दिनांक 07.03.2026 को इस निर्णय के पश्चात से प्रार्थीया व अप्रार्थी पति पत्नी नहीं रहेंगे।

11– प्रार्थीया पुनर्विवाह करने की दिनांक तक अप्रार्थी से 8,000(आठ हजार) हजार रूपये मासिक स्थायी निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की अधिकारी है।

12– निर्णय की प्रति उभय पक्ष को निःशुल्क दी जावे।

13– इस निर्णय के अनुरू प डिक्री मुर्तिब हो।

(हनुमान सहाय जाट)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–1,
बांदीकुई, जिला दौसा

14– निर्णय आज दिनांक 07.03.202 6 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हनुमान सहाय जाट)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–1,
बांदीकुई, जिला दौसा